(53)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– सुखराम खोखर
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
59/2016/प्रा.पत्र/2016	09.08.2016	13.12.2019

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1– श्री हीरालाल पुत्र गणेश लाल एफ.बी.ओ. मैसर्स गणेश किराणा स्टोर बस स्टैण्ड लाम्बाहरिसिंह तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी मालपुरा रोड लाम्बाहरिसिंह तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0
2– मैसर्स गणेश किराणा स्टोर बस स्टैण्ड लाम्बाहरिसिंह तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0
3–श्री मनोज कुमार जैन प्रोपरायटर मैसर्स मंगल ट्रेंडिग कम्पनी जूनिया गेट के बाहर केकडी जिला अजमेर राज0 निवासी छगनपुरा जूनिया गेट केकडी जिला अजमेर राज0
4– मैसर्स मंगल ट्रेंडिग कम्पनी जूनिया गेट के बाहर केकडी जिला अजमेर राज0

.... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थीगण स्वंय उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 13.12.2019**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.04.2016 को समय 2.35 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स गणेश किराणा स्टोर बस स्टैण्ड लाम्बाहरिसिंह तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। विकेता की हैसियत से श्री हीरालाल पुत्र गणेश लाल एफ.बी.ओ. मैसर्स गणेश किराणा स्टोर बस स्टैण्ड लाम्बाहरिसिंह तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी मालपुरा रोड लाम्बाहरिसिंह तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **सरसों तेल कच्ची घाणी ट्रेन मार्का मूल पैक (Mustard Oil Kachi Ghani Train Marka Origional pack)**जिसके लोट नं0 63 दिनांक 25.02.2016 अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री हीरालाल को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता हीरालाल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

984

आवेदक द्वारा दुकान की रैक मे रखी 455–455 ग्राम के 12 नग **सरसों तेल कच्ची घाणी ट्रेन मार्का मूल पैक (Mustard Oil Kachi Ghani Train Marka Origional pack)** रखे हुये मे से ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड 4 मूल पैक वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री हीरालाल को रू0 180/–अक्षरे एक सौ अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **सरसों तेल कच्ची घाणी ट्रेन मार्का मूल पैक (Mustard Oil Kachi Ghani Train Marka Origional pack)**को ज्यो का त्यो अलग–अलग चार भाग कर,चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे अलग–अलग ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड रखकर डिब्बो के ढक्कन को एयर टाईट बंद कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1324 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1324 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. हीरालाल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री हीरालाल ने मौके पर कोई बिल प्रस्तुत न कर बाद मे **सरसों तेल कच्ची घाणी ट्रेन मार्का मूल पैक (Mustard Oil Kachi Ghani Train Marka Origional pack)**बतोर वारन्टी मैसर्स मंगल ट्रेंडिग कम्पनी जूनिया गेट के बाहर केकडी जिला अजमेर राज0 का बिल क्रमांक/ इन्वॉइस नं. 401 दिनांक 27.04.2016 की छायाप्रति प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/2495 दिनांक 21.06.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/243/एक्ट/2016/293 दिनांक 06.05.2016 अनुसार हीरालाल से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **सरसों तेल कच्ची घाणी ट्रेन मार्का मूल पैक (Mustard Oil Kachi Ghani Train Marka Origional pack)**खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

(6)

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक (**Sub-Standard**) स्तर का **सरसों तेल कच्ची घाणी ट्रेन मार्का मूल पैक (Mustard Oil Kachi Ghani Train Marka Origional pack)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **सरसों तेल कच्ची घाणी ट्रेन मार्का मूल पैक (Mustard Oil Kachi Ghani Train Marka Origional pack)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सरसों तेल कच्ची घाणी ट्रेन मार्का मूल पैक (Mustard Oil Kachi Ghani Train Marka Origional pack)**का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 अप्रार्थी श्री हीरालाल पुत्र गणेश लाल एफ.बी. ओ. मैसर्स गणेश किराणा स्टोर बस स्टैण्ड़ लाम्बाहरिसिंह तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी मालपुरा रोड लाम्बाहरिसिंह तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 पर शास्ति 10,000(अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री मनोज कुमार जैन प्रोपरायटर मैसर्स मंगल ट्रेंडिग कम्पनी जूनिया गेट के बाहर केकडी जिला अजमेर राज0 निवासी छगनपुरा जूनिया गेट केकडी जिला अजमेर राज0 पर शास्ति 20,000(अक्षरे बीस हजार रू0)आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 13.12.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(सुखराम खोखर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.01.20 13:11:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: